

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
04/2017

दायर दिनांक
23.02.2017

निर्णय दिनांक
1.02.2017

1. रामनारायण पिता रूपा ओड, निवासी नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)

— अपीलार्थी

बनाम

1. मगना पिता पोखर ओड, निवासी-नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)
2. मेवा पिता पोखर, निवासी-नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)
3. किशन पिता बंशी, निवासी-नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)
4. रोशन पिता बंशी निवासी नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)
5. श्रीमति चांदी बेवा बंशी निवासी नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)
6. कमला पुत्री स्व० रूपा पत्नि छोगा ओड, निवासी-एराडीखेडा, तहसील-बनेडा, जिला-भीलवाडा
7. मेहताबी पुत्री स्व० रूपा पत्नि गोपी ओड, निवासी-सोनियाणा, तहसील-सहाडा जिला-भीलवाडा (राज०)
8. हरकू पुत्री स्व० रूपा पत्नि देवा ओड, निवासी-ओडो का खेडा, बागौर, तहसील माण्डल, जिला-भीलवाडा (राज०)
9. देऊ पुत्री स्व० रूपा पत्नि श्री हंसु ओड, आयु-बालिग निवासी-मोडा का खेडा, तहसील-कपासन जिला-चित्तौडगढ़ (राज०)
10. ईश्वर लाल पिता लहरूलाल जाति-जाट, आयु-वयस्क निवासी-नई ईरास, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)
11. ग्राम पंचायत सुवाणा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा, तहसील व जिला-भीलवाडा (राज०)

— प्रत्यर्थागण

अपील विरुद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.12.2009

सरपंच ग्राम पंचायत-सुवाणा, इंतकाल संख्या 489

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. अधिवक्ता अपीलार्थी श्री हरदयाल वर्मा
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 11 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

—:: निर्णय ::—

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

संक्षिप्त में अपील प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांकित 21.12.2009 कानून व वाकियात के विरुद्ध होकर काबिले निरस्ती के हैं। सरहद नई ईरास, प०ह० सुवाणा में आराजी संख्या 3154मी0 रकबा 01 बीघा, आराजी संख्या 3150 रकबा 01.15 बीघा, आराजी संख्या 3153 रकबा 06 बिस्वा के सन् 1997-98 में खातेदार मगना, मेवा, बंशी पिता पोखर व रूपा पिता माधू ओड, सोहन, भैरू पुत्र रामचन्द्र ओड निवासी- नई ईरास थे जिन्होंने एक मुख्तियारनामा आम महेन्द्रसिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत निवासी सांगानेर के पक्ष में निष्पादित किया लेकिन मौके पर जमीन का कब्जा नहीं दिया तथा दिनांक 10.12.1999 को खातेदार बंशी पिता पोखर ओड का देहांत हो गया तथा विरासत का नामान्तरकरण बंशी के वारिसान के नाम खुल गया तथा महेन्द्रसिंह पिता जसवंत सिंह दिनांक 10.12.1999 के बाद मुख्तियार आम नहीं रहा, न ही बंशी पिता पोखर ओड खातेदार रहा। बंशी ओड की मृत्यु की सूचना उसी समय महेन्द्रसिंह पिता जसवंत सिंह को दे दी गयी थी।

मुख्तियार आम दिनांक 10.12.1999 से ही अर्थात् खातेदार बंशी पिता पोखर ओड की मृत्यु के बाद से ही बेअसर हो चुका था, तथा प्रभाव में नहीं रहा था उसके बावजूद भी महेन्द्रसिंह पिता जसवंत सिंह से प्रत्यर्थी संख्या 1 महेन्द्रसिंह पिता रामसिंह मिला तथा एक बनावटी व दिखावटी बिकावनामा अपने नाम करवाकर आराजियात अपने नाम पर दर्ज करवाली तथा अवैधानिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 7 को विक्रय कर दी, जबकि मौके पर कब्जा उक्त बंशी पिता पोखर की आराजियात पर अपीलार्थी का है। उक्त बिकावनामे से अपीलार्थी किसी भी रूप में पाबंद नहीं है, ना रहा है। बिकावनामा अपीलार्थी के मुकाबले प्रभावशून्य है। बंशी पिता पोखर की मृत्यु के बाद उसके कियार्कर्म का खर्च अपीलार्थी ने वहन किया तथा इस एवज में बंशी पिता पोखर ओड की आराजियात का कब्जा उसके वारिसान ने अपीलार्थी को दिया। इस तरह से प्रत्यर्थीगण ने मिलीभगत कर मोगम व मृतक व्यक्ति को जीवित बताकर उसकी आराजियात का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया जो निरस्त होने योग्य है। अभी हाल ही में दिनांक 25.01.2017 को उक्त अवैध इंतकाल की जानकारी जब मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 7 आया तथा उसने बताया कि यह जमीन तो हमने खरीद कर ली है तब हुई जिस पर विभिन्न अधिकारियों को रिपोर्ट पेश की तथा राजस्व कागजात की नकलें निकलवायी नकल मिलने दिनांक 31.1.2017 से अपील अन्दर अवधि पेश है। निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.12.2009 से जानकारी दिनांक 25.1.2017 एवं नकले प्राप्त होने तक की दिनांक 31.1.2017 तक का समय जानकारी के अभाव में क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील को अंदर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है अन्यथा अपीलार्थी न्याय से महरूम रह जावेगा तथा उसे अपूरणीय क्षति होगी। समय को कण्डोन कराये जाने वास्ते दफा-5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। यह है कि अन्य उजरात वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.12.2009 को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थागण के नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्था संख्या 01 से 06 व 08 से 11 के विरुद्ध दिनांक 10.04.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी प्रत्यर्था संख्या 07 के विरुद्ध दिनांक 16.12.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्त के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलान्त अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, बहस में बताया कि अपीलान्त को आदेश दिनांक 21.12.2009 की जानकारी राजस्व नकल निकलवाने पर दिनांक 25.01.2007 को जानकारी दिनांक 31.01.2017 तक के समय को क्षम्य करने एवं अपील अन्दर अवधि शुमार कराने की प्रार्थना की है। न्यायहित में अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा-05 मियाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 21.12.2009 से जानकारी दिनांक 25.01.2017 व नकल प्राप्त होने तक की दिनांक 31.01.2017 तक के समय को क्षम्य करते हुये अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

अपीलान्त की बहस सुनी गई अपीलान्त अधिवक्ताने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये ग्राम नई ईरास के नामान्तकरण संख्या 489 निर्णय दिनांक 21.12.2009 सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा का अपास्त करने की प्रार्थना की है। अपीलान्त की अपील का अध्ययन किया अपीलान्त अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया। मगना, मेवा, बंशी पिता पोखर ओड़, रूपा पिता माधु ओड़, सोहन पिता रामचन्द्र ओड़ निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा प्रथम पक्ष ने ग्राम सुवाणा की आराजी नम्बर 3154मी. रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 3150 रकबा 01-15 बीघा, आराजी नम्बर 3153 रकबा 0-06 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 03-01 बीघा भूमि के सम्बन्ध में महेन्द्रसिंह पिता जसवन्त सिंह राजपूत, निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा द्वितीयपक्ष के मुख्तियारनामा दिनांक 13.10.1997 को पंजीयन करवाया गया।

विक्रयपत्र पंजीकृत क्रमांक 692 दिनांक 29.01.2005 में मगना, मेवा पिता पोखर, किशन, रोशन पिता बंशी ना0बा0बा0वि0 माता चान्दी, चान्दी बेवा बंशी, रूपा पिता माधु ओड़, जरिये मुखियार आम महेन्द्र सिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत के द्वारा ईश्वर लाल पिता लहरूलाल जाट सा0 नई ईरास भूखण्ड सं0 22 के पक्ष में पंजीयन करने पर ग्राम नई ईरास के नामान्तकरण संख्या 489 से ईन्द्राज किया इस नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा ने दिनांक 21.12.2009 को मगना, मेवा पिता पोखर, किशन, रोशन पिता बंशी ना0बा0बा0वि0 माता चान्दी, चान्दी बेवा बंशी ओड़, रूपा पिता माधु ओड़ के बजाय ईश्वरलाल पिता लहरूलाल जाट सा0 नई ईरास के नाम स्वीकृत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

मुख्तियारनामा मगना, मेवा, बंशी पिता पोखर ओड, रूपा पिता माधु ओड, सोहन पिता रामचन्द्र ओड निवासी सुवाणा ने महेन्द्र सिंह पिता जसवन्त सिंह राजपूत निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा के पक्ष में दिनांक 13.10.1997 को पंजीयन करवाया। बंशी पिता पोखर ओड की मृत्यु दिनांक 10.12.1999 को हो चुकी है इसके पश्चात मुख्तियार आम दस्तावेज बेअसर हो चुका फिर भी वादग्रस्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र मुख्तियारआम महेन्द्रसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत, निवासी सांगानेर कॉलोनीभीलवाडा ने दिनांक 29.01.2005 को ईश्वरलाल पिता लहरूलाल जाट सा0 नई ईरांस के पक्ष में पंजीयन करा दिया। इस पंजीयन दस्तावेज के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा ने नामान्तकरण संख्या 489 दिनांक 21.12.2009 को स्वीकृत कर दिया है।

रजिस्टर्ड मुख्तियारआम दिनांक 14.10.1997 से जो पंजीयन दस्तावेज क्रमांक 692 दिनांक 29.01.2005 को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। बंशी पिता पोखर ओड, निवासी सुवाणा के दिनांक 10.12.1999 को देहान्त हो जाने व बंशी की विरासत किशन, रोशन पिता बंशी ना0बा0व0वि0 माता चान्दी, चान्दी बेवा बंशी ओड के नाम दर्ज हो जाने पर भी मुख्तियारआम रजिस्टर्ड दिनांक 14.10.1997 के आधार पर दिनांक 29.01.2005 को पंजीयन कराया जाना नियम विरुद्ध है। इस दस्तावेज के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा का ग्राम नई ईरांस के नामान्तकरण संख्या 489 पर पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतएव

-:: आदेश ::-

अपीलान्त की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर ग्राम नई ईरांस की आराजी नम्बर 3150 रकबा 01-03 बीघा, आराजी नम्बर 3153 रकबा 00-06 बीघा कित्ता 02 रकबा 01-09 बीघा में से भूखण्ड संख्या 22 रकबा 0-02-11 बीघा यानि 3472 वर्गफुट के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 489 पर पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 अपास्त किया जाता है। मुख्तियारआम पंजीयन दिनांक 14.10.1997 के आधार पर पंजीयन दस्तावेज क्रमांक 692 दिनांक 29.01.2005 को सिविल न्यायालय से निरस्त कराने हेतु अपीलान्त पृथकसे चाराजोही करें। निर्णय आज दिनांक 10-01-2014 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित करें।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा